प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनॉक 01 सितम्बर ~~अगस्त,~~ 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, मेरठ, झॉसी तथा गोरखपुर हेतु मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/401, दिनॉक 11-08-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व लेखा पक्ष में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में रू0 1323.00 लाख की बचत को मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु रू0 241.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु रू0 306.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु रू0 392.00 लाख तथा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु रू0 384.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 1323.00 लाख पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।
4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 01-09-2021 11:11:14

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- श्री कुलदीप रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी तथा गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी तथा गोरखपुर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी तथा गोरखपुर।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-9(I) (संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाये)					
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण		वित्तीय वर्ष 2021-22		प्रपत्र-बी0 एम 0-9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-					
66-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ					
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	64673.70	1323.00	1323.00	1323.00	63350.70
कुल योग-	**64673.70**	**1323.00**	**1323.00**	**1323.00**	**63350.70**
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-					
40- मेडिकल कालेज, प्रयागराज-					
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु	**500.00**	**741.00**	**241.00**	**241.00**	**741.00**
41- मेडिकल कालेज, मेरठ-					
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु	**660.00**	**966.00**	**306.00**	**306.00**	**966.00**
42- मेडिकल कालेज, झाँसी-					
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु	**800.00**	**1192.00**	**392.00**	**392.00**	**1192.00**
43- मेडिकल कालेज, गोरखपुर-					
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु	**900.00**	**1284.00**	**384.00**	**384.00**	**1284.00**
योग-	**2860.00**	**4183.00**	**1323.00**	**1323.00**	**4183.00**
1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-					
वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 05.08.2021 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत					

राजस्व पक्ष में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में रू0 1323.00 लाख की बचत संभावित है।
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
शासनादेश संख्या-773/71-1-2020-जी-16/2016 टी0 सी0-1, दिनॉक 31.03.2020 द्वारा मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में हाउसकीपिंग एवं सेनीटेशन का कार्य ई-निविदा में एल-1 घोषित संबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सियों से आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के आधार पर कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में मानक मद -58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान में क्रमशः मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु रू0 241.00 लाख, मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु रू0 306.00 लाख, मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु रू0 392.00 लाख तथा मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु रू0 384.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 1323.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या- 61, दिनांक - 31-08-2021

सेवा में-

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 27-08-2021 13:49:32
Reason: Approved

संख्या-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- गार्ड फाइल।

(एस 0 पी0 सिंह),

अनु सचिव